कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बारां रोड्स/ एफसीए/प्रमुवसं/ 1876 दिनांक 21.7.2020

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 1.14 ha of forest land in favour of PWD for construction of Bt. Road from Mamli Lakshmipura to Patpadi under RRSMP Scheme in Rajasthan.
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/ ROAD/7127/2014)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8बी/राज/06 /24/2015/एफसी/04 दिनांक 01.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 4450 दिनांक 05.07.2019, 2226 दिनांक 18.05.2020 एवं 3177 दिनांक 03.07.2020 से निम्न बिन्दुओं की वांछित सूचना प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पालना	प्रत्युत्तर
1	Land suitability certificate and digital map of proposed CA site has not been provided.	Land suitability certificate and digital map of proposed CA site has been received and attached with.
2	CA scheme file is neither availabel online nor it has been submitted with hard copy.	CA scheme file is given online, it is attached in hard copy also.
3	Details of amount of NPV to be deposited have not been provided	Details of amount of NPV to be deposited has been received and attached with.
4	Certificate under Forest Right Act-2006 has not been submitted in the prescribed format along with prescribed annexures.	Certificate under Forest Right Act-2006 is given in the prescribed format along with prescribed annexures, it is attached with.
5	In layout plan latitude and longitude of different points are given but it serves no purpose because it can not be made out to which points these refrences relate to. Proper digital map mentioning latitude and ongitude may be submitted.	In layout plan latitude and longitude of different points are given. Proper digital map mentioning latitude and longitude have been received and attached with.

.....P.T.O.

यहां यह उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र की सूचना समय पर नही भिजवाने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/राज/06/24/2015/एफसी/925 दिनांक 19.03.2018 द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जा चुका हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 2413 दिनांक 10.05.2018 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहाबाद, जिला–बारां ने अपने पत्र क्रमांक 656 दिनांक 15.10.2018 द्वारा प्रकरण को रिऑपन करवाने हेतु निवेदन किया है, जो कि मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 4450 दिनांक 05.07.2019 के साथ संलग्न प्राप्त हुआ हैं।

अतः इस कार्यालय की सहमति के साथ मुख्य वन संरक्षक, कोटा से प्राप्त सूचनाओं के दो सेट संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। एक सेट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को भिजवाते हुए प्रकरण को रिऑपन कराने एवं प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बारां रोड्स/ एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपिः–अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज लखनऊ–226024 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर